714

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **के0सी0 जैन**
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक–374–दो/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–12–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक–14/अपील/2000–01

....

अंबिका प्रसाद तनय श्री शारदा प्रसाद दुबे
निवासी–ग्राम नैनिया, तह0 मैहर जिला–सतना म0प्र0

———अपीलार्थी

विरूद्ध

1– प्रेमलाल उर्फ मुन्ना तनय श्री शिवनाथ पटेल
2– द्वारका प्रसाद उर्फ दल्लू तनय श्री शिवनाथ पटेल
3– शिवनाथ तनय श्री महादेव कुर्मी
निवासी– ग्राम नैनिया, तह0 मैहर जिला–सतना म0प्र0

———प्रत्यर्थीगण

....

श्री डी0एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-6-16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग के प्रकरण क्रमांक 14/अपील/2000–01 पारित आदेश दिनांक 12–12–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार मैहर के न्यायालय में दिनांक 02.09.98 को संहिता की धारा 250 के तहत प्रश्नाधीन आराजी से अनावेदकगण को बेदखल किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया। जहां विचारोपरांत

आवेदन–पत्र स्वीकार करते हुये विवादित आराजी से अनावेदकगण को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मैहर, जिला–सतना के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 45/अपील/1999–2000 में पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 29.02.2000 से अनावेदकगण की अपील स्वीकार कर ली गई । अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहॉ प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 12.12.2007 को प्रस्तुत अपील निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष पेश किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय प्रकरण की परिस्थिती का विधिक अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया । प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के हक व स्वामित्व की भूमि ग्राम नैनिया रा0नि0मं0–अमदरा, तहसील मैहर जिला–सतना स्थित आ0नं0 76/2 रकबा 0.211 हे0 एवं आ0नं0 77/2, रकबा 0.013 हे0 के सम्पूर्ण रकबे पर अवैधानिक रूप से कब्जा किये हुये था, इसी कारण बेदखली का आदेश दिनांक 29.02.2000 किया गया है । जिसमें सीमांकन कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । यदि प्रत्यर्थीगण का उक्त आ0नं0 के अंश रकबे में अवैधानिक कब्जा होता तो सीमांकन की विधि की दृष्टि से आवश्यक होता है, परंतु इस प्रकारण में प्रत्यर्थीगण का पूर्ण रूप से सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा करना पाया गया है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.2007 निरस्त किये जाने योग्य है । विचारण न्यायालय ने प्रकरण सुनवायी के दौरान तीन बिन्दु प्रकरण निराकरण के लिये निर्धारित किये–प्रथम क्या आवेदक/अपीलार्थी विवादित आराजियों का भूमि स्वामी है?, द्वितीय–क्या आवेदक/अपीलार्थी को विवादित आराजी से दो वर्ष के अंदर बेदखल किया है?, तृतीय–क्या विवादित आराजियों का सीमांकन कराना आवश्यक है?, विचारण न्यायालय ने उक्त तीनों विधिक व आवश्यक बिन्दुओं का विधिवत निराकरण सुनवायी उपरांत करते हुये

तीनों बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में पाये व प्रत्यर्थी के विरूद्ध सिद्ध पाये तभी आदेश दिनांक 29.02.2000 पारित किये है, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय में आदेश दिनांक 16.08.2000 से की है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है । अंत में अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक के अभिषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.12.2007 में यह आदेशित किया है कि प्रकरण में संलग्न ऋण पुस्तिका में आराजी नंबर 76 व 77 के भूमिस्वामी उत्तरवादीगण है तथा खसरा वर्ष 97–98 में विवादित आराजी नंबर 76/1, 77/1 में से रकबा 0.633 हैक्टर है तथा 0.37 हैक्टर के भूमिस्वामी अपीलार्थीगण है तथा तहसीलदार के न्यायालय के प्रकरण में संलग्न खसरा वर्ष 97–98 में आराजी नंबर 76/2 व 77/2 रकबा 0.211 एव 0.013 हैक्टर के भूमिस्वामी अंबिका प्रसाद है । इस तरह एक ही विवादित आराजी 76 व 77 के बटे नंबर पर अपीलार्थीगण व उत्तरवादीगण अगल–अलग भूमिस्वामी है । उत्तरवादी अधीनस्थ न्यायालय में जो आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है उसमें उसके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा कितने रकबे पर कब्जा कर लिया गया है जबकि अपीलार्थी भी उसी नंबर का भूमिस्वामी है। संहिता की धारा 250 के आवेदन पत्र पर कितने रकबे व किस समय से अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है स्पष्ट होना चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में सीमांकन भी नहीं कराया गया है जिससे सही रकबे की स्थिति स्पष्ट हो सके । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत बने नियमों के प्रतिकूल जाकर आदेश पारित किया है । रेस्पाडेन्ट का का यह तर्क कि दोनों न्यायालयों का समवर्ती आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । चूँकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने संहिता की धारा 250 की मंशा के विपरीत आदेश पारित किया है इसलिये हस्तक्षेप योग्य है ।

इस प्रकार अपर आयुक्त ने अपने आदेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये है और अपील स्वीकार की है तथा प्रकरण

तहसीलदार को इस निर्देश के प्रत्यावर्तित किया है कि उभयपक्षों की उपस्थित में विवादित आराजियों का सीमांकन कर सर्वप्रथम सीमा चिन्ह अंकित करें, उसके पश्चात संहिता की धारा 250 के अंतर्गत बने नियमों के तहत उभयपक्षों को सुनवाई उपरांत गुणदोष पर आदेश पारित करें । इस प्रकार अपर आयुक्त का आदेश विधि और प्रक्रिया के विपरीत न पाए आने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

अतएव उपरोक्त व्याख्या के आलोक में विचारोंपरांत प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,